न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 62/2020

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. खैरिंग पिता सोचन्द धाकड निवासी माधोपुर हा.मु.गुणता तह0 बेगूँ
2. छगन लाल पिता हीरा धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूँ
3. मोहन पिता भूरा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
4. भूरा पिता कूका धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
5. धापूबाई पिता कूका धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
6. भूलाबाई पत्नि चुन्नीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
7. देवीलाल पिता हरचंद धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
8. भंवरलाल पिता हरचंद धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
9. शंभुलाल पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
10. कमलाबाई पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
11. सुगनाबाई पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
12. शंकरलाल पिता मेघा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
13. रामलाल पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
14. चुन्नीबाई पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
15. धापूबाई पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
16. रामचन्द्र पिता बालू धाकड माता मोत्याबाई निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
17. हजारी पिता बालू धाकड माता मोत्याबाई निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
18. मदनलाल पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
19. लाभचन्द्र पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
20. ठम्माबाई पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
21. केसर पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
22. कमला पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
23. धापू पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
24. देउबाई पत्नि नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 24

निर्णय दिनांक : 21.08.2020

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी./DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/ परिपत्र/ कमांक/ बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/[illegible]2/ 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद [illegible] दर्ज रजिस्टर क्रिया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया दिनांक 11.08.2020 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 21.8.2020 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1306 दिनांक 23.07.2020 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:40 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी अनुसार दर्ज [illegible]

का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें आनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से शुद्ध करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत हिस्से की घोषणा बाबत अनुशंसा की गई है।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 11.8.2020 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा नरसिंहपुरा में वादवर्णित आराजी किता– 1 रकबा 1.89 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती भूमि हैजो सेटलमेन्ट रेकार्ड में ग्राम नरसिंहपुरा में खाता संख्या 24 पर रूपा ,कूका, लक्ष्ण पिता नंदा का हिस्सा 1/2,हरचन्द, गंगाराम ,सीताराम, टोडू पिता देवा हिस्सा 1/2 दर्ज अंकित था, उक्त खाते में हीरालाल पिता सोचंद, मांगीलाल पिता भंवरलाल, सोहनी बेवा भंवरलाल का हिस्सा जरिये पंजीकृत बेचान 01.06.2012 हिस्सा 1/12 का बेचान, शंकरलाल पिता मेघा धाकड को किया गया, जिसका नामान्तरण संख्या 311 प्रमाणित हुआ जबकि रिकोर्ड के अनुसार विक्रेता का हिस्सा 1/18 ही बनता था, चूँकि विक्रेतागण के निहित हक हिस्से से अधिक का बेचान किया गया जिसका अमल राजस्व रेकार्ड में किये जाने से उक्त खाता अपवादित खाता हुआ है। साथ ही वर्णित आराजी में विक्रेतागण रामलाल, चुन्नीबाई, धापूबाई पिता लक्ष्मण ,रामचन्द्र, हजारी पिता बालू माता मोत्याबाई द्वारा अपना निहित हक हिस्सा 1/12 मानते हुए पंजीकृत बेचान 24.01.2013 को छगनलाल पिता हीरा, मोहनलाल पिता भूरा को किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 325 प्रमाणित हुआ जबकि रिकोर्ड के अनुसार विक्रेतागण का हिस्सा 1/6 बनता था,अतः बाद बेचान विक्रेतागण का 1/12 हिस्सा शेष रहना चाहिए था जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं होने से उक्त खाता अपवादित हुआ है।

उक्त आराजी में पंजीकृत विक्रय व विरासत की कार्यवाही से उक्त त्रुटी लगातार चलती रही जिससे खाता पूर्णतया अपवादित रहा है, वर्तमान में उक्त खाते में जो हिस्से बनते है वह इस प्रकार से है खातेदार खेरिंग पिता सोचंद, का हिस्सा 1/36, छगनलाल पिता हीरा, का हिस्सा [illegible] मोहन पिता भूरा का हिस्सा 1/24, भुरा, धापूबाई पिता कूका का हिस्सा 1/12, [illegible]बाई पत्नि चुन्नीलाल का हिस्सा 1/12, देवीलाल भंवरलाल पिता हरचंद का हिस्सा 1/8, मदनलाल, लाभचन्द ठम्माबाई,केसर,कमला,धापू पिता नाराण, देउबाई पत्नि नाराण का हिस्सा 1/8, शंभुलाल,कमलाबाई,सुगनाबाइ पिता जगन्नाथ का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पिता मेघा का हिस्सा 1/18, रामलाल,चुन्नीबाई,धापूबाई पिता लक्ष्मण ,रामचन्द्र , हजारी पिता बालू माता मोत्याबाई का हिस्सा 1/12 बनता है। अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:40 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के पश्चात से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के शुद्ध हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नरसिंह की आराजी संख्या 177 किता– 1 रकबा 1.89 हैक्टर भूमि मे खातेदार खेरिंग पिता सोचंद, का हिस्सा 1/36, छनलाल पिता हीरा का हिस्सा 1/4, मोहन पिता भूरा का हिस्सा 1/24,भुरा, धापूबाई पिता कूका का हिस्सा 1/12, भूलाबाई पत्नि चुन्नीलाल का हिस्सा 1/12, देवीलाल भंवरलाल पिता हरचंद का हिस्सा 1/8, मदनलाल, लाभचन्द ठम्माबाई,केसर,कमला,धापू पिता नाराण, देउबाई पत्नि नाराण का हिस्सा 1/8, शंभुलाल,कमलाबाई,सुगनाबाइ पिता जगन्नाथ का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पिता मेघा का हिस्सा 1/18, रामलाल,चुन्नीबाई,धापूबाई पिता लक्षमण ,रामचन्द्र ,हजारी पिता बालू माता मोत्याबाई का हिस्सा 1/12 सा0देह खातेदार रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:40 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

दावा संख्या : 62/2020

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. खैरिंग पिता सोचन्द धाकड निवासी माधोपुर हा.मु.गुणता तह0 बेगूँ
2. छगन लाल पिता हीरा धाकड़ निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूँ
3. मोहन पिता भूरा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
4. भूरा पिता कूका धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
5. धापूबाई पिता कूका धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
6. भूलाबाई पत्नि चुन्नीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
7. देवीलाल पिता हरचंद धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
8. भंवरलाल पिता हरचंद धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
9. शंभुलाल पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
10. कमलाबाई पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
11. सुगनाबाई पिता जगन्नाथ धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
12. शंकरलाल पिता मेघा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
13. रामलाल पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
14. चुन्नीबाई पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
15. धापूबाई पिता लक्ष्मण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
16. रामचन्द्र पिता बालू धाकड माता मोत्याबाई निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
17. हजारी पिता बालू धाकड माता मोत्याबाई निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
18. मदनलाल पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
19. लाभचन्द्र पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
20. ठम्मांबाई पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
21. केसर पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
22. कमला पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
23. धापू पिता नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
24. देउबाई पत्नि नाराण धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री गोपाल लाल बंजारा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 21.08.2020 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा नरसिंहपुरा की आराजी संख्या 177 किता– 1 रकबा 1.89 हैक्टर भूमि मे खातेदार खेरिंग पिता सोचंद का हिस्सा 1/36, छनलाल पिता हीरा का हिस्सा 1/4, मोहन पिता भूरा का हिस्सा 1/24 भुरा, धापूबाई पिता कूका का हिस्सा 1/12, भूलाबाई पत्नि चुन्नीलाल का हिस्सा 1/12, देवीलाल भंवरलाल पिता हरचंद का हिस्सा 1/8, मदनलाल, लाभचन्द ठम्माबाई,केसर,कमला,धापू पिता नाराण, देउबाई पत्नि नाराण का हिस्सा 1/8, शंभुलाल,कमलाबाई,सुगनाबाइ पिता जगन्नाथ का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पिता मेघा का हिस्सा 1/18, रामलाल,चुन्नीबाई,धापूबाई पिता लक्ष्मण ,रामचन्द्र ,हजारी पिता बालू माता मोत्याबाई का हिस्सा 1/12 सा0देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:40 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 21.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

110
31.8.2020

(कैलाशचन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:40 IST
Reason: SelfAttested